मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक : 683/मा॰ अनु॰/प्रे॰-13 दिनांक : 7-10-2020

विकास प्राधिकरण की अभ्युक्ति एवं पूर्णता प्रमाण पत्र

मै0 मैट्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 पार्टनर श्री ओमपाल सिंह, निवासी–ए–34, सूर्या नगर, निकट एल.आई.सी. साकेत, मेरठ के आवेदन संख्या–CC20190131121959950 दिनांक 31.01.2019 के माध्यम से खसरा संख्या–1600 / 2, 1601, 1602 / 1, 1605मि0, 1606 / 1, 1608मि0 व 1609मि0, ग्राम जटौली, सरधना, मेरठ के भूमि क्षेत्रफल 7142.00 वर्ग मी0 पर स्थित मैट्रो रेजीडेन्सी कालोनी के स्वीकृत तलपट मानचित्र संख्या–35 / 11 का पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु दिनांक 17.08.2020 को अनुमोदन प्रदान किया गया।

अतः उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के क्रम में उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा–15क (2) के अनुसार कालोनी के आंतरिक विकास कार्यो को पूर्णता प्रमाण पत्र निम्न शर्तो के साथ निर्गत किया जाता है:–

1. जब तक कालोनी के विकास कार्यो को नगर निगम / आर.डब्लू.ए. को हस्तांतरित नही किया जाता, तब तक विकासकर्ता को विकास कार्यो का रख–रखाव करना होगा।
2. पार्को तथा खुले स्थानों को विक्रय नही किया जायेगा।
3. नाली तथा सीवर की नियमित सफाई की जायेगी।
4. कूडे का निस्तारण एम.एस.डब्लू. रूल्स, 2016 के अनुरूप किया जायेगा।
5. पूर्व में बंधक भूखण्ड, नगर निगम / आर.डब्लू.ए. को हस्तांतरित होने तक बंधक ही रहेगा।
6. विभिन्न विभागों द्वारा दी गयी अनापत्तियों में उल्लेखित शर्तो का अक्षरशः पालन करना होगा।
7. प्राधिकरण द्वारा निर्मित किये गये एस.टी.पी. से प्रश्नगत कालोनी की सीवर लाईन को जोड़ने के संबंध में भविष्य में देय अनुरक्षण शुल्क प्राधिकरण कोष में जमा कराना होगा।

संलग्नक:– मानचित्र की प्रति।

मानचित्र की प्रति प्राप्त और पत्र प्राप्त

Rikki Kumar

मुख्य नगर नियोजक,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

7/10/2020